

क्रमांक 1926/2012/सिंगरौली/शु.शु.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट



- ११४ रामलख उर्फ मरपना पिता स्व० शिवनाथ तेली,
 - १२४ रामनरेश पिता स्व० शिवनाथ तेली,
 - १३४ सुखी बेवा शिवनाथ तेली,
- तीनों नि० - ग्राम सहुआर, तह० देक्सर, जि० सिंगरौली,
 ₹००५००० --- निगरानी कर्ता गण

R-1926-I/12

- ११४ अनन्ते पिता बेलखडी साह,
 - १२४ कामता पिता बेलखडी साह,
 - १३४ रामकरण पिता बेलखडी साह,
 - १४४ जयकरण पिता बेलखडी साह, सभी नि० गा० सहुआर,
- तह० देक्सर, जि० सिंगरौली ₹००५००० --- गैर निगरानी कर्ता गण

अधिवक्ता श्री एस.के.
 मिश्रा द्वारा उपस्थित
 सेवा दिनांक 14.5.2012
 14.5.12

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर
 जिला सिंगरौली ₹००५००० द्वारा प्रकरण क्र०- 366/
 निग०/2010-11, पारित आदेश दि० 21-03-12.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

क 276/12

महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

११४ यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

१२४ यह कि उ० नामांतरण पंजी में हुए नामांतरण आदेश की अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी देक्सर, जि० सिंगरौली ₹००५००० की अदालत में लम्बित थी, जिसमें नामांतरण पंजी वर्ष 1993-94 की प्रविष्टि क्र०- 14 दिनांक 17-02-94 में पारित आदेश के विरुद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.1926/11.1.2012 जिला सिंगरानी

रामलाल उके मरपती विरुद्ध अनन्ते झाड़ू

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री राम के पिता अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला सिंगरानी के प्रकरण क्रमांक 366/11.1.11 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 02-03-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p>सदस्य</p>

[Handwritten signature]